

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती नन्दु डेती बनाम चन्नालाल (नर्गरा)

किस्म मुकदमा प्र. उपज धारा 111-28 नं० 41 सन 2023

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुकम की तामी
में जारी हु

22-2-23

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 28-3-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28/3
23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन वाद तामिल होकर अप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा केक कर आयासे खिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थिया का प्रापण स्वीकार किया जाकर निर्णय सुपक से लिखा जाकर शाप पत्र किया गया। पत्रावली फंसल शुभार होकर नम्बर से कम ली।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



गारीख
गो इस
गामील
हुए

राजरथान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

जिला अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

पत्र संख्या - 41/23 प्रा.पत्र

श्रीमती गन्धु देवी पत्नी श्री मूलचन्द माली निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

पन्नालाल पत्नी श्री मांगीलाल रवाती निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल
श्रीमती वसुदेवी बेगम पत्नी श्री अब्दुल गनी निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल
श्री प्रद्युम्न कुमार पत्नी श्री मिश्रीलाल पुरोहित निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल
श्री राजस्थान राज्य जारिद तहसीलदार सा. माण्डल तहसील- माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.03.23

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
माण्डल पटवार हल्का..... माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
0 4917..... कुल किता..... 01..... रकबा 0.1518 हेक्टेयर रिथत है। वादग्रस्त भूमि
गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.02.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... माण्डल पटवार
माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं..... 4917
01..... रकबा 0.1518 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक..... माण्डल
0.1 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे
ति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर
ही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा